उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-15/2016/45/92-2-16-41जॉच/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 04 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के निर्माण कार्यो की अनियमितता की जॉच में यह पाया गया कि निविदा डालते समय एक रजिस्टर पर निविदा डालने वाले ठेकेदार का नाम और कार्य का नाम श्री के0 पी0 सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा अंकित किया गया था। इस प्रकार का रजिस्टर बनाने हेतु कोई निर्देश शासन/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी नही किये गये है। इस प्रकार की कार्यवाही से निविदा की गोपनीयता भंग्र होने की संभावना रहती है। अत: शासन के पत्र संख्या-687/92-2-15-41जांच/2015 दिनांक 14-07-2015 द्वारा उक्त के संबंध में श्री के0पी0 सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा से स्पष्टीकरण मांगा गया जो श्री सिंह के पत्र संख्या-53/ग्रा0अ0वि0/स्पष्टीकरण/2015-16 दिनांक 17-08-2015 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- श्री के0पी0 सिंह, सहायक अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने स्पष्टीकरण में उल्लिखित किया गया है कि श्री संजय अग्रवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के परिपालन में ठेकेदारों द्वारा निविदा डालते समय निविदा का अंकन रजिस्टर में किया गया था। अपचारी अधिकारी, श्री के0पी0 सिंह का उक्त उत्तर स्वीकार योग्य नही है। अत: श्री के0पी0 सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा की गयी उक्त अनियमितता के लिये उन्हें निम्नवत **"परिनिन्दित"** किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के निर्माण कार्यो की निविदा डालते समय रजिस्टर पर निविदा डालने वाले ठेकेदार का नाम व कार्य का नाम अंकित करके निविदा की गोपनीयता भंग किये जाने का प्रयास करने की अनियमितता किये जाने हेतु श्री के0पी0 सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा को वर्ष 2015-16 के लिये परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 15/2016/45(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री के0पी0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।